

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सकल परीक्षाएँ कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय में होने में ही किए जाएँ व कि किसी अन्य परीक्षाएँ में होने नें। सम्बन्धित विभाग पर यदि पूर्ण नें परीक्षाएँ द्वारा ही ही परीक्षाएँ एवं दिनांक अनुसार लिखा जावे लिखते दिखाने हैं।



आफ / कुलीनसंकेत
दूरभाष : (0751) 2341898
(0751) 2442825
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2012/ 5935

दिनांक: 05/04/18

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सम्बद्ध शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2012-13 को लिये प्रस्तावित/समाहित एम.ए. संगीत (सितार) प्रथम वर्ष, एम.ए. (कवचक) प्रथम वर्ष, एवं एम.ए. उत्तरार्ध (विश्वकला) एवं बी. एस.-सी. (बायोटेक) एवं एम.एस.-सी. (बायोटेक), जथा.पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विनियानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. बाबू.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. जया जैन, आचार्य, शासनाध्य. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
- (3) डॉ. श्रीमती एस. गङ्गानर, आचार्या, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
- (4) डॉ. स्मिता सहस्त्रबुद्धे आचार्या शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/20 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुल्क, वरीहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, कीटा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेक्स तथा पिछले सत्र में की गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अर्जित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बदण्ड जमा कराकर नयी समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(f) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीनस्थ / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / बी.ए. / मानवीय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, रातपुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)